4033. [*Transferred to the 18th August 1992*]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग को बंद किया जाना

4034. **श्रीमती सरोज बहिन :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग को बन्द करने पर विचार कर रही है; यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस प्रकार के विचार से देश-भर में फैले ऐसे उद्योगों का कार्यकरण प्रभावित हो रहा है; और

(ग) इन प्रभावित उद्योगों में उत्पादन की गति को बनाये रखने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नकली शीतल पेय

4035. **श्री महेश्वर सिंह :**
श्री रजनी रंजन साहू :
डा. अबरार अहमद :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 जुलाई, 1992 के "पंजाब केसरी (दिल्ली संस्करण)" के पृष्ठ छः पर "पूर्वी दिल्ली में नकली शीतल पेय बनाने की दो दर्जन फैक्ट्रियां पकड़ी गईं" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ग) कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं कि भविष्य में ऐसी फैक्ट्रियां नकली शीतल पेय न बनायें ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

बीयर उत्पादन के लिये लम्बित आवेदन

4036. **श्री मल्लैय्यवुमनाचम:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के पास मद्य-निर्माणशालाओं की स्थापना के लिए आज तक कितने आवेदन लम्बित हैं;

(ख) ऐसे आवदनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) उन पर कार्यवाही करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या किन्हीं आवेदनों से कोई अतिरिक्त सूचना मांगी गई है ;

(ङ) क्या यह सच है कि वर्तमान मद्य निर्माताओं की ओर से नई मद्य निर्माणशालाओं के लिए आवदनों पर कार्यवाही न करने के लिए दबाव डाला जा रहा है ; और

(च) देश में बीयर उत्पादकों की संख्या में वृद्धि करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) मद्यनिर्माणशालाओं की स्थापना के लिए इस मंत्रालय को लगभग 900 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे। इनमें

से अधिकांश का निपटान कर दिया गया है और शेष आवेदन-पत्रों पर कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। ऐसे आवेदन-पत्रों की जांच करने के बाद उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय को कार्रवाई करने की सिफारिश की जाती है। उद्योग मंत्रालय ने कुछ आवेदन-पत्रों के बारे में कुछ स्पष्टीकरण मांगा है। अतः लंबित आवेदन-पत्रों की सही संख्या संकलित की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) वर्तमान मद्य-निर्माताओं की ओर से नई मद्य निर्माणशालाओं के आवेदनों पर कार्रवाई न करने के लिए दबाव डालने के बारे में इस मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं है।

बीयर तैयार करने की अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने पर प्रतिबन्ध हटाने का एक उद्देश्य बीयर निर्माण उद्योग में विद्यमान एकाधिकार की स्थिति को दूर करना था। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने प्रति यूनिट प्रतिवर्ष 5000 मि०ली० की क्षमता की अनुमति देने का निर्णय लिया है ताकि उचित संस्था में नये उद्यमी बीयर यूनिट स्थापित कर सकें।

World Bank funds for deep sea fishing

4037. SHRI MENTAY PADMANABHAM: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether Government have received a suggestion from the FAO that it should approach the World Bank for funding to make the deep-sea fishery sector viable;

(b) if so, whether Government have approached the World Bank in this regard;

(c) if so, the details thereof; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) Concerned Ministries|Departments|Institutions have been consulted for implementation of the recommendations in the Report and a line of action prepared. World Bank would be approached for funding at the appropriate time, as decided through inter-ministerial discussions

Milk and Milk product industry

4038. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether there are any representations against the transfer of Milk and Milk products industry from Food Processing Industries Ministry to Agriculture Ministry under M. M. P. O. and to nullify the industrial liberalisation in case of dairy industry;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) the number of representations received so far; and

(d) who represented the same and action taken thereon?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) to (d) Although the subject of milk products has not been transferred from Ministry of Food Processing Industries to Ministry of Agriculture, the M.M.P.O. has, however, been promulgated by Ministry of Agriculture. Representations from the following organisations|individuals have been received and are under examination:—

1. Associated Chamber of Commerce and Industry (ASSOCHAM).

2. Confederation of Indian Food Trade and Industry (CIFTI).

3. PHD Chamber of Commerce.